

न्यायालय भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु कैम्प थैलासर  
पीठासीन अधिकारी श्री राहुल सैनी, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या : 09 / 2022

दिनांक:- 05.01.2022

अनुवानी

राजस्थान सरकार


बनाम

पोकरराम आदि

-: आदेश :-

तहसीलदार, चूरु द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमति पत्र, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट-‘ए’ एवं अभिशंषा तहसीलदार, चूरु का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार रोही ग्राम सहजूसर तहसील चूरु के खसरा नम्बर 74 में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार, चूरु ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है परन्तु संलग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि ख.नं. 74 की दक्षिणी सीव के पास से कटानी रास्ता पहले से ही मौजूद होने से तहसीलदार, चूरु का यह कटानी रास्ता अंकित कराने का प्रार्थना पत्र अनावश्यक प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार, चूरु द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 05.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

  
( राहुल सैनी )

भू-अभिलेख अधिकारी,

चूरु

